(निशुल्क वितरित किए जाते हैं) (Supplied free of cost)



कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 **EMPLOYEES' PENSION SCHEME, 1995**

प्रपत्र-10 ग (क० पें० यो०) Form 10-C (E.P.S.)

निकासी परिलाभ/योजना प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेत् आवेदन प्रपत्र

Form for claiming withdrawal benefit/scheme certificate

निर्देश/INSTURCTIONS

कौन आवेदन कर सकता है ? / Who Can apply ?

- कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971/कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 का कोई सदस्य जिसने A Member of the Employees' Family Pension Scheme, 1971/Employees' Pension Scheme, 1995.
 - (क) 10 वर्ष की सेवा पूरी करने से पूर्व नियोजन को छोड़ दिया है,
 - (a) Who has left the employment before completion of 10 years service.
 - (ख) 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने से पूर्व सेवा में रहते हुए अथवा सेवा के बाद अर्थात् 58 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो।
 - (b) Who has attained the age of 58 years before completion of 10 years service whether in service/left the service
 - (ग) सेवा अवधि का कार्य काल 6 माह के अधिक हो ।
- एक सदस्य, जिसने सेवा त्यागने की तिथि को 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और इस आवेदन को भरने की तिथि तक 58 वर्ष की आयु को प्राप्त नहीं हुआ है या इस आवेदन को भरने की अवधि तक 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है या 50 वर्ष की अथवा इससे अधिक परन्तु 58 वर्ष की कम की आयु को प्राप्त कर चुका है तथा घटी दर की पेंशन हेत् इंच्छुक नहीं है ।

A member, who has completed 10 years service on the date of his leaving the service and has not attained the age of 50 years on the date of filing this application or has attained the age of 50 years on the date of filing this application or has attained the age of 50 years or more but less than 58 years, and not willing for reduced pension.

टिप्पण-1:

दिनांक 1.3.1971 से दिनांक 15.11.95 तक की सेवा (यदि कोई है) को 10 वर्ष की सेवा हेतू गिना जाएगा।

Note-I:

To determine the period of 10 years service rendered from 1.3.1971 to 15.11.1995 (if any), shall

- टिप्पण-II (i) एक सदस्य, जिसने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और 58 वर्ष की आयु को सेवा में अथवा सेवा में न रहते हुए प्राप्त कर लिया है, मासिक सदस्य पेंशन हेतू पात्र है ।
- Note-II (i) A member who has completed 10 years service and attained the age of 58 years, whether in service or not is eligible for Monthly Member Pension.
 - सदस्य जिसने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तथा 50 वर्ष की आयु भी पूरी कर ली है, रोजगार छोड़ने के उपरान्त घटी दर पर पेंशन लेने के लिए पात्र है।
 - A member, who has completed 10 years service and also attained the age of 50 years is eligible to draw pension at reduced rate, after leaving the employment.
 - सदस्य, जिसने पूर्ण एवं स्थायी अपंगता के कारण सेवा त्याग दी है चाहे उसकी आयू और सेवा अवधि कितनी भी हो, मासिक अंपगता पेंशन हेतु पात्र है ।
 - A member who has left the service on account of total and permanent disablement, irrespective of his age and period of service, is eligible for monthly disablement pension.
 - मासिक पेंशन के दावे हेतू प्रपत्र-10-डी में आवेदन प्रस्तृत करना चाहिए ।
 - To claim the Monthly pension, application in Form-10-D should be submitted.
- 3. पात्र परिलाभ के प्रकार/Type of benefit eligible :

ऊपर मद संख्यां–1 के अंर्तगत कोई सदस्य निकासी परिलाभ की राशि को प्राप्त करने का पात्र है ।

A member falling under Item I above is eligible to get the amount towards withdrawl benefit.

तथापि ऊपर मद सं० - 1 (क) के अंतर्गत निर्दिष्ट सदस्य को परामर्श दिया जाता है कि वह निम्नलिखित प्रसुविधाओं हेतु योजना प्रमाणपत्र के लिए अपना विकल्प प्रस्तुत करें ।

However, a member falling under item 1(a) above is advised to opt for the Scheme Certificate on account of following advantages.

- किसी अन्य संस्थान में रोजगार प्राप्त करने पर उसकी पूर्व सेवा अवधि को आगे गिना जाएगा तथा उन्हें एकत्रित कर पेंशन की हकदारी को विनियमित किया जाएगा ।
- On taking up employment in another establishment, his earlier service period will be carried forward and clubbing both the spells togehter pension entitlement shall be regulated.

यदि कोई सदस्य रोजगार प्राप्त नहीं करता है और 58 वर्ष की आयु को प्राप्त करने से पूर्व ही मृत्यु हो जाती है (ii) तो उसका परिवार "परिवार पेंशन" प्राप्त करेगा ।

If the member does not take up employement and dies before attaining the age of 58 years. His family will (ii) get family Pension. On his survival, he will get withdrawal benefit with weightage as may be prescribed.

- (iii) योजना प्रमाणपत्र प्राप्त करते समय सदस्य द्वारा भविष्य निधि संचय की निकासी में कोई रुकावट नहीं है ।
- (iii) While availing a Scheme Certificate, there is no bar to withdraw the P. F. accumulations by the member.

4. आवेदन पत्र भरने हेतु मार्गदर्शन/Guidance for filling the application :

(नीचे क्रम सं० आवेदन में दी क्रम सं० से संदर्भित है)

(S.No. given below refers to the one given in the application)

क्रम सं0-1

below refers to the one given in the application)

SI. No.-1

- (क) स्थापना के सेवा अभिलेखों में दिए अनुसार अपना नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखिए ।
 (a) Write your name in CAPITAL letters as given in the service records of your establishment.
- (ख) केवल उस समय भरा जाए जब आवेदन सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति (अर्थात नामिति/परिवार सदस्य) द्वारा प्रस्तुत किया जाना है ।
- (b) To be furnished only when the application is preferred by a person other than the memebr himself (i.e. Nominee/family member)

2.

सदस्य की सही जन्म तिथि दी जानी चाहिए ।

The exact date of birth of the member should be given.

3 से 7 तक विवरणों को बगैर किसी ओवरराइटिंग या कंटिंग को स्पष्ट रूप से यहां दिया जाना चाहिए । किसी भी शृद्धि/शोधन को अभिप्रभाणित किया जाना चाहिए ।

3 to 7 : -

Particulars should be written clearly without any overwriting or cutting. Correction if any, be attested.

- 3. सदस्य द्वारा विकल्प उसी स्थिति में दिया जाना है यदि उसने 10 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है और निकासी परिलाभ हेतु पात्र है । The option is to be given by the member only if he has not rendered 10 years service and eligible for withdrawal benefit.
- 9. नामित व्यक्ति और परिवार (जीवन साथी एंव सभी बच्चे) का पूर्ण विवरण हर स्थिति में दिया जाना चाहिए । Complete particulars of nominee and family (spouse and all children) should be given without fail.
- 10. इसे तब प्रक्रिया में लाया जाए जब नामित या परिवार के किसी सदस्य द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया हो । To be furnished when the claim is preferred by nominee or the family member (s).
- 11. इसे केवल तभी पूरा किया जाए जब सदस्य निकासी परिलाभ हेतु पात्र हो और उसने योजना प्रमाणपत्र के स्थान पर इस हेतु विकल्प दिया हो । (यह उन पर लागू नहीं है जो योजना प्रमाणपत्र हेतु हकदार हैं अथवा जिन्होनें निकासी परिलाभ के स्थान पर योजना प्रमाणपत्र हेतु विकल्प दिया है ।)

To be completed only when a member is eligible for withdrawal benefit and opted for it in lieu of scheme Certificate (not applicable to those who are entitled for Scheme Certificate or opted for Scheme Certificate in lieu of withdrawal benefit.)

12. यदि सदस्य कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंर्तगत परिवार पेंशन/पेंशन ले रहा है तो उसे विवरण देना चाहिए। In case, the member is drawing Family Pension/Pension under the Employees' Pension Scheme 1995, the details should be furnished.

अग्रिम प्राप्ति रसीद/Advance Receipt :

दावा प्रपन्न का अभिप्रमाणपन्न/Attestation of claim form:

दावा साधारणतः उस नियोक्ता से अभिप्रमाणित होना चाहिए जिसके अधीन सदस्य अन्त में नियोजित था । The claim should preferably be attested by the employer under whom the member was last employed.

यदि किसी कारणवश दावेदार आवेदन को अपने पूर्व नियोक्ता से अभिप्रमाणित कराने में असमर्थ है तो उसे चाहिए कि वह स्थिति को स्पष्ट करते हुए दावे को निम्नलिखित अधिकृत अधिकारियों में से किसी एक से अभिप्रमाणित कराकर भविष्य निधि कार्यालय को अग्रसारित कर दें।

If for any reason, the claimant is unable to get the application attested by his ex-employer, he may forward the claim to the Provident Fund office duly clarifying the position, after getting it attested by any one of the following authorised officials:

- (i) उस बैंक के मैनेजर से जिसमें सदस्य का खाता अनुरक्षित है ।
- (i) Manager of the Bank where the member is holding an account.
- (ii) शैक्षणिक संस्था का प्रधान/Head of Educational institution.
- (iii) राजपत्रित अधिकारी/A Gazetted Officer.
- (iv) उप डाकपाल/डाकपालSub-Post Master.
- (v) मजिस्ट्रेट/The Magistrate
- (vi) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ।
- (vi) Memeber of Central Board of Trustees Employees's Provident Fund or Regional Committee
- (vii) अध्यक्ष/सदस्य/नगरपालिका/जिला / स्थानीय बोर्ड का सदस्य
- (vii) Chairman/Secretary/Member of the Municipal/District/Local Board
- (viii) ग्राम / पंचायत का अध्यक्ष / संरपच / संसद सदस्य / विधानसभा सदस्य
- (viii) President of the village Union / Panchayat / Member of Parliament / Member of Legislative Assembly.
- (ix) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा अनुमोदित कोई अन्य अधिकारी
- (ix) Any other officer approved by the Regional P. F. Commissioner
- 5. अपेक्षित अन्य किसी मार्गदर्शन /स्पष्टीकरण (यदि कोई है) हेतु निकटतम भविष्य निधि कार्यालय के जनसंपर्क अधिकारी (भविष्य निधि निरीक्षणालय भी सम्मिलित है) से संपर्क किया जा सकता है ।
- 5. For furher guidance/clarifications required, if any the Public Relation Officer in the nearest Provident Fund Office (including Provident Fund Inspectorates) may be contacted.

केवल कार्यालय के प्रयोगार्थ	क्रम सं.
For Office Use Only	Serial No
आवक सं०	प्रपत्र सं० 10-ग (क०पे०यो०)
In ward No	Form No. 10-C (E.P.S.)

Mobile Number:

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 **EMPLOYEES PENSION SCHEME, 1995**

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के सदस्य द्वारा केवल निकासी परिलाभ/योजना प्रमाणपत्र के दावे हेतु प्रयोग किया जाने वाला प्रपत्र

<u> </u>		IEMBER OF THE EMPLOYEES' PENSION SCHEME, ITHDRAWAL BENEFIT/SCHEME CERTIFICATE					
	(प्रपत्र भरने से पहले निर्देशों को पढ़ें)						
	(Read the instructions before filling up this form)						
1.	(क) सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों मे Name of the Member (In Block Letters) :						
	(ख) दावेदार का नाम Name of the claimant (s):						
2.	जन्मतिथि Date of Birth						
3.	पिता का नाम/Father's Name						
	पति का नाम Husband's Name (If applicable)	particular de la companya del companya del companya de la companya					
4.	स्थापना का नाम व पता जिसमें सदस्य अंत में नियोजित था। Name & Address of the Establishment in which, the member was last employed						
5.	कोड सं. तथा खाता सं. Code No. & Account No.	क्षेत्र/उ० क्षे० का० कोड Region/SRO Code स्थापना की कोड सं० खाता सं. Estt. Code No. A/c No.					
5A	Date of Joining the Estt.	The second secon					
6.	सेवा छोड़ने का कारण तथा सेवा छोड़ने की तिथि						
	Reason for leaving service & Date of leaving —						
7.	पूरा पता (स्पष्ट अक्षरों में) Full Address (In Block Letters)	The part which is not the second of the part of the second					
	श्री/श्रीमती/कुमारी/Sh./Smt./Km.						
	पुत्र/पत्नी/पुत्री/S/o, W/o, D/o	पिन/PIN					

	क्या आप निकासी परिलाभ के स्थान पर योजना	(क) (ख)
	प्रमाणपत्र स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। Are you willing to accept Scheme Certificate हाँ	(a) (b) नहीं (
	in lieu of withdrawal benefits Yes	No
9.	परिवार का विवरण (पति/पत्नी तथा बच्चे तथा नामिति)	
	Particulars of Family (Spouse & Children & Nominee)	
	नाम जन्मतिथि सदस्य के साथ सं Name Date of Birth Relationship with Me	
(=)		The Name of the guardian of militor
, ,	परिवार के सदस्य Family members	
(ख)	नामिति	
<u></u>	Nominee	
	58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सदस्य की मृत्यु होने पर, बिना दा In case of death of member after attaining the age of 58 years withou	
		thing the claim
	(क) सदस्य की मृत्यु की तिथि Date of death of the member	
	Barrier Barrier (1985) - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1	
	(ख) दावेदारों के नाम/तथा सदस्य से उसका संबंध	
	Name of the Claminant(s)/and relationship with the member	No.
	धनप्रेषण का माध्यम (विकल्पित विधि के अनुसार संबंधित कोष्टक में टिव Mode of remittance (put a tick in the box against the one opted)	क करे)
	(क) मद सं. 7 में दिए पते पर मेरी लागत पर डाक मनीआर्डर द्वारा	
	By postal money order at my cost to the address given against	item No. 7 :
	(ख) खाता देयी चैक सीधा मेरे बैंक (अनुसूचित बैंक/डाकघर) में बचत हेतु भेंज दें। इसकी सूचना हमे भी हो।	खाते में जमा होने
	Account payees cheque sent direct for credit to my SB A/c (ScI Under intimation to me.	neduled Bank)
	बचत बैंक खाता सं०/S. B. Account No.	
	बैंक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) Name of the Bank (In block letters)	
	शाखा (स्पष्ट अक्षरों में)/Branch (In block letters) :	
	शाखा का पूरा पता (स्पष्ट अक्षरों में)	
	Full address of the Branch (in block letters) :	
12.	क्या आप क० पें० यो०-95 के तहत पेंशन प्राप्त कर रहें हैं?	
	Are you availing pension under EPS-95?	
	यदि हाँ, तो इंगित करें पी० पी० ओ. सं० If so, indicate PPO No	किसके द्वारा जारी . By whom issued
ருள்	णेत किया जाता है कि विवरण मेरे अधिकतम ज्ञान के अनुसार सत्य है।	
	tified that the particulars are true to the best of my knowledge.	
		सदस्य के हस्ताक्षर अथवा बायें हाथ का अंगूठा निशानी
दिना Date	क : e	Signature or left Hand Thumb impression of the Member / claimant (s)

अग्रिम प्राप्ति रसीद Advance Stamped Receipt

[केवल ऊपर (ख) के मामले में ही प्रस्तुत किया जाए] [To be furnished only in case of (b) above]

पेंशन निधि खाते के निपटा	न स्वरुप क्षेत्रीय भविष	य निधि आयुक्त/उप–क्षेत्रीय कार्यालय	के प्रभारी अधिकारी से अपने बचत बैंक	
खाते में जमा द्वारा रु०		(शब्दों में)) की	
राशि प्राप्त की।				
Received a sum of Rs		(Rupees) only from Regional	
Provident Fund Commiss	sioner/Officer-in-cha	arge of Sub-Regional Office	by deposit in my savings	
Bank A/c towards the set	ttlement of my Pens	sion Fund Account.		
		य निधि आयुक्त/प्रभारी अधिकारी द्वा e filled by Regional Provident Fund (
टिकट पर सदस्य के हस्त	गक्षर और बाँय हाथ	के अंगूठे का निशान	रु० १ राजस्व	
Signature & left hand thu	mb impression of th	ne member on the stamp	टिकट Rs. 1 Revenue	
	Part of the same		Stamp	
लगाई है।		विवरण सही है और सदस्य ने मेरे given are correct and the member ha	समक्ष हस्ताक्षर किए हैं/अंगूठा निशानी as signed/thumb impressed	
before me.				
· ·		के विवरण निम्नानुसार हैं :-		
(प्रपत्र-3ए/7) (क॰पें॰यो॰) र	उस अवधि का संलग्न	ributory service of the member are a है जिस अवधि हेतु ये कर्मचारी भविष्य or which it was not sent to Employee	निधि कार्यालय को भेजे नहीं गए थे।)	
दिनांक 15.11.95 को मज Wages (Basic+D.A.) as o	61 . 61	मंहगाई भत्ता) (यदि लागू है) cable)		
सेवा त्यागने की तिथि को Wages as on the date of				
गैर अंशदायी सेवा की अव Period of non contributory				
वर्ष/माह	दिन			
Year/Month	No. of days			
दिनांक		नियोक्ता/प्राधिव	न्त अधिकारी के हस्ताक्षर	
Date		Signature of Employer/Authorised Official		
		भायुक्त कार्यालय के प्रयोगार्थ he use of commissioner's office)	1639	
₹0		के अधीन/अदायगी मद सं०	मनीआर्डर/चैक	
(Under Rs		P.I. No	M.O./Cheque.	
			की अदायगी हेतु स्वीकृत किया।	
मनीआर्डर कमीशन (यदि	कोई है)	निकासी परिलाभ की निवल	राशि	
M. O. Commission (if any)		net amount to be paid	net amount to be paid by M. O	
towards withdrawal benef	it.			
सं० लि०		अनुपर्यवेक्षक	स०ले०अधि०	
D. H.		अनुपयपद्मप) S. S.	A. AO.	

(नकदानुभाग के प्रयोगार्थ) (For use in Cash Section)

चैक सं०	दि	दिनांकद्वारा संदेय जिसे नकद पुस्तिका (बैंक) खाता		
सं0-10 डैबिट मद सं0	पर	पर दर्ज कर लिया है।		
Paid by inclusion in cheque No		Dt vide cash Book (Bank) Account		
No. 10 Debit item No	•••••			
अनु पर्य० S. S.		स॰ अधि॰ (नकद) AC (Cash)		
एस. एस. आई. डी. एस. हेतु जारी क For issue of S. S. ; IDS is enclosed	रने के लिए संलग्न है	ŧ :-		
स० लि० D. H.	अनु० पर्य० S. S.	स० ले०आ० A. AO.	स०भ०नि०आ० (लेखा) APFC (A/cs.)	
योजना प्रामणपत्र जिस पर नियंत्रण स		ension Section)	उल्लिखत है, को	
दिनांक को जारी				
	rol No		and entered in	
स० लि०	अनु० पर्य०	स० ले०अधि०	स०भ०नि०आ० (पेंशन)	
D. H.	S. S.	A. AO.	APFC (Pension)	
	necess.			